ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 63-66
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

कृषक परिवार में महिलाओं की वर्तमान स्थिति (ग्राम परवेज नगर के विशेष संदर्भ में)

1. भानुप्रताप सिंह
2. प्रो0 इला साह

1. शोध अध्येता– समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, 2. विभागाध्यक्ष– एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड), भारत

Received-13.07.2023, Revised-20.07.2023, Accepted-26.07.2023 E-mail: chhavi1976@gmal.com

सारांशः ***प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य कृषक परिवारों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके लिए जनपद बदायूं के ग्राम परवेजनगर में निवासित महिलाओं को अध्ययन हेतु चुना गया है। भारत गांवों का एक ऐसा देश कहा जाता है जहां भारत की आत्मा बसती है। जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग आज भी गांवों में निवास कर कृषि, पशुपालन तथा कृषि संबंधी उद्योगों के माध्यम से अपनी आजीविका का निवर्हन करता है। समय–समय पर विभिन्न समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों द्वारा कृषक समाज का अध्ययन कर उनकी दशा व दिशा को वर्णित किया है जिसमें वुल्फ, वैरिगटन, मूर, ऐरीस्ट्रोक्स, कैथलीन गफ, क्रोबर, नार्वेक, थियोडोर, शनीन, ए0आर0 देसाई, राबर्ट रैडफील्ड, रणजीत गुहा जैसे विद्वान प्रमुख हैं।***

कुंजीभूत शब्द– महिलाएं, बाल विवाह, धार्मिक, पशुपालन,कृषि उद्योगों, आजीविका, निवर्हन, जनजातिय, अविभेदीकृत, अस्तरीकृत।

कृषक समाज एक लघु सामाजिक संगठन है जिसमें किसानों का वर्चस्व रहता है। विद्वानों द्वारा उन्हें अलग–अलग नामों से संबोधित किया जाता है। क्रोबर एवं राबर्ट रैडफील्ड ने इन्हें आंषिक (Part Sociely) समाज, फॉस्टर ने आधा (Half Sociely) समाज कहा है। राबर्ट रैडफील्ड के अनुसार "कृषक समाज का तात्पर्य उन ग्रामीणों से है जो जीवन निर्वाह के लिए भूमि पर नियंत्रण बनाये रखते हैं तथा उसे जोतते है, कृषि जिनके जीवन का ढंग है। जो ग्रामीण उन नगरीय लोगों की ओर देखते हैं एवं उनसे प्रभावित होते हैं। जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान होते हुए भी कुछ अधिक सत्य होता है"[1] कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में हैं। इसके एक ओर जनजातीय समाज है और दूसरी ओर नगरीय समाज अतः इन दोनों के बीच में आने वाले समाज को हम कृषक समाज कहते हैं।"[2]

संक्षेप में कहा जा सकता है कि कृषकों के जीवन निर्वाह का ढंग अत्यधिक सामान्य तथा अन्य लोगों से संबंधों में भिन्नता लिए हुए होता है। जो अविभेदीकृत या अस्तरीकृत अन्य समाजों से आर्थिक रूप से भिन्न होता है। सरल प्रौद्योगिकी जीवन यापन के लिए उत्पादन, परम्परागत सामाजिक, व्यवस्था आदि के रूपों में कृषक समाज की अपनी पहचान होती है और इनमें परिवर्तन की गति अत्यधिक धीमी पायी जाती है। अतः ऐसे समुदायों में निवासित महिलाओं की वर्तमान स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है।

महिलाएं भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा होती हैं, तो भी इनकी स्थिति मजबूत नहीं है। घर, परिवार, खेत, ,खलिहान, समाज, देश प्रत्येक स्थान पर उनकी भूमिका की उपेक्षा या अनदेखी नहीं की जा सकती। समानता का अधिकार प्राप्त होने के पश्चात भी साक्षरता दर का कम पाया जाना, शिक्षा संबंधी समस्या, लैंगिक भिन्नता, रूढ़िग्रस्तता, सामाजीकरण में विभेद, कन्या भ्रूण हत्या, यौन शोषण, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि अनेक समस्याओं के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं को सषक्त करने की विविध योजनाओं के पश्चात् भी महिलाएं स्वयं को अशक्त महसूस करती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रक्रिया और भी प्रभावी है संचित अधिकारों से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता वंचित वर्ग की महिलाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों व सामाजिक एवं मानसिक सोच के बदलाव से परिवेश में थोड़ा बहुत बदलाव अवश्य आया है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित महिलाएं आजादी के इतने वर्षों बाद भी बहुत अधिक परिवर्तित दिखायी नहीं पड़ती। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्तमान अवसर पर कृषक समाज में निवासित महिलाओं में आये वर्तमान परिवर्तन को देखने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है। इसके लिए महिलाओं में व्याप्त शिक्षा, रहन–सहन, सामाजिक नियमों की जटिलता, व्याप्त रूढ़िवादिता एवं समस्याओं संबंधी प्रश्नों के आधार पर कृषक समुदाय में निवासित महिलाओं की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया है।

शोध प्रारूप– जपनद बदायूं उत्तर प्रदेश में स्थित एक बड़ा जनपद है जिसकी राजधानी लखनऊ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 19,95,81,477 है। 75 जिले और 18 मण्डलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यह अध्ययन बदायूं जनपद के तहसील बिसौली, ग्राम परवेजनगर के सीमान्त कृषक परिवारों में रहने वाली महिलाओं पर केन्द्रित है।

यहां दो प्रकार के कृषक अर्थात् लघु एवं सीमान्त परिवार निवास करते हैं। जिन्हें भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जिन कृषकों के पास कृषि योग्य एक हेक्टेयर से अधिक और दो हेक्टेअर से कम होती है उन्हे लघु कृषक तथा जिनके पास कृषि योग्य भूमि केवल एक हेक्टेयर अर्थात लगभग ढाई एकड़ होती है उन्हें सीमान्त कृषक की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लघु कृषकों का प्रतिषत जहां 17.93 है वहीं सीमान्त कृषकों का यह प्रतिशत 67.04 प्रतिशत है। तुलनात्मक रूप से लघु कृषकों से सीमान्त कृषकों की संख्या अधिक पायी गयी है।

अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन हेतु अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रारचना का प्रयोग किया गया है। राजस्व लेखपाल परवेज नगर द्वारा उपलब्ध आकड़ों के अनुसार बिसौली ग्राम परवेज नगर में सीमान्त कृषकों के 486 परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों में से 25 प्रतिशत परिवारों को निदर्शन की लॉटरी पद्धति के माध्यम से अध्ययन के लिए चुना गया है जिनकी कुल संख्या 127 है। यह अध्ययन प्रत्येक परिवार की मुखिया महिला पर आधारित है जिनकी आयु 30 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है।

प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची तथा द्वितीयक आंकड़ों की प्राप्ति के लिए संबंधित साहित्य पुस्तके, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, जर्नल, सरकारी/गैर सरकारी आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं के पार्श्व

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

चित्र को जानने के प्रयास से इनमें 21.26 प्रतिशत महिलाएं 30–40, 45.66 प्रतिशत 40–50, 18.12 प्रतिशत 50–60 तथा 14.96 प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक की पायी गयी।

इनमें 33.07 प्रतिशत सामान्य, 37.79 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 29.14 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। 22.83 प्रतिशत साक्षर तथा 77.17 प्रतिशत महिलाए निरक्षर हैं तथा सभी 100 प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, इनमें अधिकांश 57.48 प्रतिशत महिलाएं संयुक्त परिवार एवं 42.52 प्रतिशत एकांकी परिवारों में निवासित हैं।

कृषक समाज की प्रमुख विशेषताओं में परिवारों का परम्परागत स्वरूप आज भी विद्यमान है यही जानने का प्रयास करने पर परम्परागत पारिवारिक व्यवस्था को स्वीकार करने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक 59.85 प्रतिशत पाया गया। 13.38 प्रतिशत ने आधुनिक तथा 26.77 प्रतिशत ने परम्परागत और आधुनिक दोनों होना स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में भी प्रत्येक समाज में प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से पितृसमाज व लिंग भेद की मानसिकता देखने को मिलती है। आज भी वंश वृद्धि, मृत्यु के पष्चात पिण्ड दान प्रक्रिया के लिए पुत्र की अनिर्वायता को स्वीकार किया जाता है। कृषक समाज सीधा–सरल व परम्पराओं का निर्वाह करने वाला परिवार है। अतः आज पुरूष का नियंत्रण स्वीकार करना तथा पुत्र प्राप्ति की चाह रखने वाली महिलाओं की अधिकता प्राप्त तथ्यों के अनुसार सर्वाधिक है। कृषक 65.35 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि वंश परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। 16.53 प्रतिशत ने इसे अस्वीकार किया जबकि 18.12 प्रतिशत वर्ग तटस्थ पाया गया क्योंकि ये न तो इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे थे और न ही अस्वीकार अतः इन्होंने पता नहीं को अपने विकल्प के रूप में चुना है। निम्न सारणी के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है।

सारणी 01

वर्तमान समय में पुत्र अनिवार्यता पर विश्वास संबंधी तथ्य

क्र.सं.	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	83	65.35
2	नहीं	21	16.53
3	पता नहीं	23	18.12
	योग	127	100.00

अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरितियों को कृषक समाज में आज भी आसानी से देखा जा सकता है, यही कारण है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 हिंदू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1956, विवाह विच्छेद अधिनियम पारित होने के पश्चात भी इनके समाजों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों में बदलाव बहुत कम हो पाया है क्योंकि सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, तलाक, विधवाओं का फिर से विवाह संबंधी प्रत्युत्तर की प्राप्ति निम्नवत हुई है–

सारणी 02

बाल विवाह संबंधी प्राप्त तथ्य

क्र.सं.	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उचित है	97	76.38
2	अनुचित है	23	19.68
3	तटस्थ	07	3.94
	योग	127	100.00

सारणी 03

पर्दा प्रथा संबंधी तथ्य

क्र.सं.	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सहमत	83	65.36
2	असहमत	40	31.49
3	तटस्थ	04	3.15
	योग	127	100.00

सारणी 04

विवाह विच्छेद संबंधी तथ्य

क्र.सं.	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उचित है	19	14.96
2	अनुचित है	106	85.04
3	पता नहीं	–	–
	योग	127	100.00

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

उपरोक्त सारणीयों से स्पष्ट होता है कि कृषक परिवारों में संयुक्त परिवार प्रथा, मुखिया का परिवार पर सत्ताधिकार कृषि पर आधारित जीवन, परम्पराओं की प्रधानता, धार्मिक विश्वासों आदि विशेषताओं को आज भी काफी हद तक पूर्वतत् देखा जा सकता है। आधुनिक समाज में जिस बाल विवाह, पर्दा प्रथा और विवाह विच्छेद जैसी परम्पराओं को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है वही ये परम्पराएं कृषक समाज की महिलाओं का सम्मान है ऐसा मानना इनकी परम्परावादी सोच को प्रगट करता है।

सारणी संख्या 02 से प्राप्त तथ्यों में 76.38 प्रतिशत महिलाओं को मानना है कि विवाह एक अनिवार्य संस्था है। समय पर लड़कियों को उचित वर मिलने पर विवाह कर देना चाहिए फिर चाहे वह बाल विवाह की परिधि में भी क्यों न आता हो उचित है, 19. 68 प्रतिशत कि विवाह की आयु के लिए निर्मित संविधान के अनुसार ही विवाह करना सही है अर्थात बाल विवाह की स्थिति में नहीं पाये गये 3.94 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं पाये गये।

सारणी संख्या 03 से प्राप्त तथ्यों के अनुसार 65.36 प्रतिशत, 31.49 प्रतिशत तथा 3.15 प्रतिशत उत्तरदाता क्रमशः अपने समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा से सहमत, असहमत व तटस्थ पाये गये।

सारणी संख्या 04 के अनुसार विवाह विच्छेद या तलाक को अधिकांश 85.04 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पवित्र संस्कार और मर्यादाओं के विपरित बतालते हुए अनुचित बतलाया है जबकि 14.96 प्रतिशत ने स्थितियों के विपरित होने पर इसका समर्थन किया है।

बाल विवाह, पर्दा प्रथा या तलाक को अनुचित मानने वाले उत्तरदाताओं की आयु 30 से 50 वर्ष के बीच पायी गयी है। अतः कहा जा सकता है कि स्थितियों के बदलाव का समर्थन महिलाएं चाह रही हैं और यह परिवर्तन दिखायी भी पड़ रहा है। लेकिन इसकी गति अधिक मन्द है, प्राचीन परम्पराएं आज भी नवीनता पर हावी दिखायी पड़ती हैं इसी को पीढ़ियों का अन्तराल कहा जाता है।

प्राकृतिक शक्तियों पर आज भी वैज्ञानिकता की तुलना में महिलाओं का अधिक विष्वास परिलक्षित होता है जो तर्क और वैज्ञानिकता से इन्हें दूर रखता है। "आधुनिकीकरण के प्रभाव से किसानों के धार्मिक अंधविश्वास में कमी आ रही है, जन्म, मृत्यु, विवाह और जीवन के अन्य क्षेत्रों में आधुनिकीकरण व शिक्षा के कारण धार्मिक रूढ़ियों को किसान अब कम महत्व दे रहे हैं"[3]

लेकिन महिलाओं के संदर्भ में इसे सही नहीं माना जा सकता। सभी 100 प्रतिशत महिलाएं आज भी ईश्वरीय शक्ति पर अटूट विश्वास करती हैं वैज्ञानिकता के साथ–साथ जादू–टोने, प्राकृतिक शक्तियों पर 55.84 प्रतिशत महिलाओं की आस्था पायी गयी है, 10. 26 प्रतिशत महिलाओं का इन शक्तियों पर विश्वास कम पाया गया जबकि 3.93 प्रतिशत महिलाएं कुछ भी न कहने की स्थिति में पायी गयी।

प्रेम विवाह को अधिक महत्व न देना, आज भी जाति की परिधि में विवाह को सर्वोपरि रखना तथा दहेज को बुराई या सामाजिक समस्या के रूप में देखकर उसे परम्परागत प्रथा के रूप में इनके द्वारा स्वीकार किया जाना इनकी रूढ़िवादिता में अन्तर्जातीय विवाह को वैवाहिक प्रक्रिया के सरलीकरण के रूप में देखा जा रहा है। क्या वे इसे उचित मानती हैं और दहेज देना आवश्यक है जब कि ये एक सामाजिक बुराई है तथ्य निम्नवत स्पष्ट हैं–

सारणी 05
दहेज के संबंध में प्रतिउत्तर

क्र.सं.	प्रत्युत्तर का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सही	97	76.38
2	गलत	24	18.89
3	तटस्था	06	04.70
	योग	127	100.00

जहां तक अन्तर्जातीय विवाह के संबंध में प्राप्त तथ्यों की बात की जाय तो 85.04 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएं इसे परिवार के मूल्यों के विपरीत मानते हुए अनुचित कह रही हैं, 10.23 प्रतिशत ने इसमें समयानुसार परिवर्तन व बच्चों की इच्छा को सर्वोपरि बतलाते हुए उचित बतलाया है जबकि 4.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं का वर्ग तटस्थ स्थिति में पाया गया।

इसी प्रकार दहेज लेना व देना एक सामजिक समस्या या बुरायी है इसे स्वीकार करने के बाद भी इसे स्वयं समाज व परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए उत्तरदाताओं का सर्वाधिक 76.38 प्रतिशत इसे सही, 18.89 प्रतिशत गलत तथा 4.73 प्रतिशत पता नहीं वाले उत्तरदाताओं का पाया जाना इनमें मन्द परिवर्तन की गति को दर्शाता है।

स्वास्थ व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरूष अथवा बच्चे। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को अनेक स्वास्थ संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन आज भी महिलाएं घर गृहस्थी के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि जब तक वे किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित नही हो जाती हैं तब तक वह चिकित्सकीय परामर्श नहीं ले पाती हैं। इसका मुख्य कारण गृह क्षेत्र में चिकित्सालयों का अभाव पाया गया है। कोविड–19 के नियमों का थोड़ा बहुत पालन करने की बात को स्वीकार करने के बाद भी अधिकांश के कोविड की पहली–दूसरी और बूस्टर डोज लग चुकी है जिसे एक सकारात्मक परिणाम कहा जा सकता है।

मासिक धर्म एंव प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे अपवित्रता से नहीं जोड़ा जा सकता लेकिन यहां भी अन्य समाजों के समान इन तिथियों में महिलाओं का रसोई, मंदिर व धार्मिक कार्यों में जाने की मनाही को पाया गया जिसे सभी 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सही माना है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

निष्कर्षत– उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सीमान्त कृषक समाजों में महिलाओं की स्थितियों में परिवर्तन की गति अत्यधिक मन्द है जिसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित नहीं कहा जा सकता। परिवार की प्रतिष्ठा, पितृसत्तात्मक समाज का नियंत्रण, प्रचलित प्रथा परम्पराओं का समर्थन प्राकृतिक शक्तियों पर विष्वास ये समाज आज भी नतमस्तक है। बात पर्दा प्रथा की हो, दहेज की, अर्न्तजातीय विवाह या फिर विवाह विच्छेद की इनका उलंघन ये परिवार की प्रतिष्ठा के विपरीत व सामाजिक मूल्यों के उलंघन के रूप में स्वीकार करती हैं, जिससे स्पश्ट होता है कि इन्हें सशक्त बनाने के लिए अभी बहुत प्रयासों की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Redfield, Robert, The little community peasant Society and culture. University oif Chicago, press- 1956 P. 29.
2. A.L. Kroeber, The Eastern Anthropologist, Vol. 31 No.3, July-Sept. 1978. P.229.
3. भावरियां, सुरेश कुमार, ''किसानों पर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' अपनी माटी पत्रिका अंक 39 वर्ष 2022, पृ0सं0 37.

*****